पत्रांक–16/वि0/1-29/2021-1903

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,
झारखण्ड ।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 20.09.2021

**विषयः–** **राज्य में संचालित सभी सरकारी/सभी आवासीय विद्यालय/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने हेतु दिशा–निदेश ।**

**प्रसंगः–** **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश संख्या–431/ CS /Res दिनांक 16.09.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना (Covid 19) के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" को दृष्टिगत रखते हुए बंद हैं । यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन–अध्यापन का कार्य निजी विद्यालयों के द्वारा अपने स्तर से तथा सरकारी विद्यालयों में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं जे.सी.ई.आर.टी. द्वारा ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है । परन्तु इसकी पहुँच सीमित है । विदित हो कि कक्षा 09 से 12 के विद्यालय दिनांक 05 अगस्त, 2021 से खोले गये है।

कक्षा 06 से 08 के छात्रों के पठन–पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है । इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 431/CS/Res दिनांक 16.09.2021

द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा–निदेश निम्नवत् है :–

- सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों जहां कक्षा–06 से कक्षा–08 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।
- अभिभावकों की सहमति से विभिन्न कक्षाओं में नामांकन हेतु विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार विद्यालयों में बुलाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें शारीरिक दूरी, मास्क एवं हाथ धोने के नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

अतः राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 431/CS/Res दिनांक 16.09.2021 द्वारा निर्गत आदेश पत्र की प्रति (अनुलग्नक– 'क') एवं विद्यालयों के संचालन हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के साथ कक्षा 06 से 08 को खोले जाने हेतु कोविड 19 को दृष्टिपथ रखते हुए अनुपालन हेतु आवश्यक मुख्य बिन्दुओं को अलग से संलग्न (अनुलग्नक– 'ख') कर प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विद्यालयों में सुनिश्चित करायी जाए तथा पत्र के साथ संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए ।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

20/9/21

सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

पत्रांक–16/वि01-29/2021-1904

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

**सचिव,**
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

सेवा में,

**सभी उपायुक्त,**
झारखण्ड।

**सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,**
झारखण्ड ।

**सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,**
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 20.09.21

विषयः– **राज्य में संचालित सभी CBSE/CISCE बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों में वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने हेतु दिशा–निदेश ।**

प्रसंगः– **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश संख्या–431/ CS /Res दिनांक 16.09.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना (Covid 19) के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" को दृष्टिगत रखते हुए बंद हैं । यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन–अध्यापन का कार्य निजी विद्यालयों के द्वारा अपने स्तर से ऑनलाईन डिजीटल माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है । कक्षा 06 से 08 के छात्रों के पठन–पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है । इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 431/CS/Res दिनांक 16.09.2021 द्वारा राज्य में अवस्थित सभी शिक्षण संस्थानों में वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा–निदेश निम्नवत् है :–

- राज्य में संचालित सभी CBSE/ CISCE बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालय, जहां कक्षा–06 से कक्षा–08 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही

विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।

अतः राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 431/CS/Res दिनांक 16.09.2021 द्वारा निर्गत आदेश पत्र की प्रति (अनुलग्नक– 'क') संलग्न कर प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाए तथा पत्र के साथ संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी निजी विद्यालयों के वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं का संचालन की व्यवस्था दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से सुनिश्चित करायी जाए ।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

20/9/21

**सचिव,**
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, रांची।

प्ररिशिष्ट – 'ख'

# स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड

**राज्य में संचालित सभी सरकारी/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं का संचालन दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा–निदेश**

---

झाखण्ड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संदर्भित आदेश संख्या **431**/CS/Res दिनांक 16.09.2021 में दिए गए निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य के उपरोक्त वर्णित श्रेणी के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग–06 से 08 की कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के पठन–पाठन में बच्चों को आ रही कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को दिनांक 24.09.2021 के प्रभाव से कक्षा 06 से 08 में अध्ययनरत बच्चों के लिए कोविड–19 वैश्विक महामारी से बचाव के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों में बच्चों के पठन–पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है ।

सभी विद्यालयों को भारत सरकार एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विद्यालय खोलने हेतु संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन विद्यालय खोलने से पूर्व तथा विद्यालय संचालन अवधि में करना अनिवार्य होगा । इस निमित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति तथा कक्षा 06 से 08 में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों को वांछित दिशानिर्देशों के अनुरूप ही विद्यालय में सभी आवश्यक व्यवस्था एवं दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर विद्यालय संचालित करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी:–

1. **विद्यालय खोलने से पूर्व आवश्यक अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश –**

   i. राज्य के सभी विद्यालय जहाँ कक्षा 06 से 08 की पढ़ाई होती है, उपरोक्त दिशा निदेश के आलोक में विद्यार्थियों के साथ संचालित होंगे।

   ii. सभी संबंधित शिक्षकों को विद्यालय आने के पूर्व कोविड–19 का कम से कम एक डोज टीका लिया होना अनिवार्य होगा।

   iii. विद्यालय के अन्दर सभी शिक्षक विद्यालय अवधि तक मास्क का उपयोग निरंतर करेंगे।

   iv. विद्यालयों का संचालन पूर्वा0 08:00 बजे से 12:00 बजे तक (कुल चार घंटे) तक होगा।

v. राज्य के सभी वैसे विद्यालय जहाँ कक्षा 06 से 08 की पढ़ाई होती है, में शत–प्रतिशत शिक्षक उपस्थित होकर विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

vi. शिक्षण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने से पहले विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य सामान्य उपयोगिता क्षेत्रों सहित शिक्षण/प्रदर्शनों आदि के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्रों को 1% Sodium Hypochlorite Solution के साथ विशेष रूप से Sanitize किया जाये। सामान्यतः बार–बार छूए जाने वाले सतहों यथा–दरवाजा, सीढ़ी इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

vii. विद्यालय के अन्दर तथा बाहरी परिसर की साफ–सफाई एवं सभी आवश्यक व्यवस्था दिनांक 23.09.2021 तक सुनिश्चित की जाये ताकि 24.09.2021 से विद्यालय का संचालन विद्यार्थियों के लिये किया जा सके।

viii. सभी शिक्षक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारी ऑनलाइन शिक्षण/टेली–काउंसलिंग और संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

ix. कक्षा 06 से 08 के छात्रों के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके लिए माता–पिता/अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

x. राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

xi. शिक्षक और छात्र 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। शिक्षण कार्य हेतु बैठने की योजना शारीरिक दूरी के अनुरूप की जाय।

xii. विद्यालय में प्रार्थना सभा तथा किसी भी प्रकार का समूह अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन नहीं किया जायेगा।

xiii. विद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स लेकर आने की अनुमति नहीं होगी।

xiv. साबुन से हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जाय।

xv. विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी पर फर्श पर विशिष्ट चिह्नों को बनाया जाये। स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष एवं अन्य स्थानों (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) में भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए।

xvi. सभाकक्ष, खेल और अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

xvii. विद्यालय परिसर में किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए शिक्षकों/छात्रों/कर्मचारियों हेतु राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का नम्बर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

xviii. वेंटिलेशन के लिए CPWD के दिशानिर्देशों का पालन किया जाये, ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

xix. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर बच्चों के हाथ Sanitized करने हेतु साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी । आवश्यकतानुसार विद्यालय में Hand Sanitizer की भी व्यवस्था रखी जाये ।

xx. विद्यालय आने और विद्यालय से जाने के समय बच्चों को शारीरिक दूरी के मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये । इसके लिये विद्यालय के प्रवेश द्वार से वर्ग कक्ष तक छः फीट की दूरी पर गोल घेरे अथवा चिन्ह अंकित करना सुनिश्चित किया जाए ।

xxi. विद्यालय से बाहर भीड़ से बचने तथा यातायात को विनियमित करने हेतु ट्रेफिक पुलिस, समुदाय, स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है ।

xxii. विद्यालय संचालन हेतु छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा बच्चों की संख्या को देखते हुए अलग–अलग पाली के अनुसार विद्यालय संचालन हेतु समय सारणी का निर्माण सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा इसकी सूचना संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित किया जाए ।

xxiii. विद्यालयों के साफ–सफाई एवं Sanitization हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए विद्यालयों में पूर्व से उपलब्ध विद्यालय विकास कोष अथवा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास मद की अवशेष राशि से दिशानिर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए ।

xxiv. विद्यालय साफ–सफाई तथा Sanitization हेतु जिला के जिला आपदा प्रबंधन समिति, नगर निगम/नगरपालिका तथा प्रखण्ड स्तर पर पंचायत कार्यालय से भी संपर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए ।

xxv. बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य जांच तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र का न0 आवश्यक रूप से अंकित किया जाये ।

xxvi. जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का कोविड–19 जाँच random रूप से किया जायेगा।

xxvii. जिन विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था है, वहाँ भी विद्यार्थी रहकर विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे।

xxviii. विद्यालयों में ऑफलाईन जाँच एवं परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

xxix. विद्यालयों के दिनांक 24.09.2021 को खुलने के पूर्व सभी कक्षा 06 से 08 के छात्रों को विद्यालय संचालन की सूचना एवं समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अभिभावकों को संसूचित करते हुए उन्हें विद्यालय में जरूरी एहतियात अर्थात सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए विद्यालय आने हेतु निदेशित करेंगे । साथ ही विद्यालय खुलने के तिथि अर्थात 24.09.2021 को निम्न अंकित विहित प्रपत्र में अभिभावक की सहमति के साथ विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

| छात्र/छात्रा को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक सहमति –सह–घोषणा पत्र | | |
|---|---|---|
| 1 | विद्यालय का नाम | |
| 2 | छात्र/छात्रा का नाम | |
| 3 | वर्ग | वर्ग कमांक |
| 4 | गृह पता | |
| 5 | मोबाइल न0 | |

| | |
|---|---|
| 6 | मैं अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड ........................................................................ जो वर्ग .........का छात्र/छात्रा है, को शिक्षको के मार्गदर्शन में पठन–पाठन हेतु अपने स्वेच्छा से विद्यालय भेज रहा/रही हुँ। |
| 7 | वर्त्तमान में मेरे पुत्र/पुत्री/वार्ड को COVID-19 के कोई लक्षण नही है। |
| 8 | मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में COVID-19 के बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करेंगा। |
| 9 | मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड विद्यालय में शिक्षको के बातो का अनुपालन करेगा |
| 10 | यदि मेरे बच्चे में सर्दी, बुखार, खाँसी, स्वाद या गंध का पता न लगना जैसे लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना के भी हो सकते हैं तो मैं इसके विषय में तुरंत विद्यालय के शिक्षकों को सूचित करूँगी/करूँगा । साथ ही मेरे घर या आसपास यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो मैं इसके विषय में विद्यालय को तुरंत सूचना दूँगी/दूँगा । |
| 11 | इन सबके बावजूद भी यदि मेरे बच्चे को कोरोना संक्रमण होता है तो उसके लिए मैं विद्यालय अथवा किसी सहपाठी/सहपाठियों को दोष नहीं दूँगी/दूँगा । |
| 12 | मैंने इस स्व–घोषणा सह सहमति प्रपत्र को पढ़ा/सुना कर समझने के बाद हस्ताक्षर (अथवा अँगूठे का निशान) कर रहा हूँ । |

माता / पिता / अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर

## 2. विद्यालय खुलने की तिथि एवं संचालन के दिवसों में अनुपालन हेतु दिशानिर्देश –

i. सभी छात्रों एवं शिक्षकों को विद्यालय में फेस कवर / मास्क पहन कर आना है तथा उसे हर समय विशेषकर कक्षा में पहने रहना है ।

ii. बच्चों को अपना मास्क दूसरों के साथ अदान–प्रदान नहीं करना है ।

iii. विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि को विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा विद्यालय आने वाले बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड–19 वैश्विक महामारी के बचाव हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त जानकारी एवं प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा ।

iv. विद्यालय में कक्षा संचालन हेतु बच्चों के बैठने की व्यवस्था भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित छः फीट की न्यूनतम दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी । छात्रों की संख्या के अनुरूप विद्यालय संचालन समय सारणी को इस निमित अलग–अलग

पालियों में निर्धारित की जा सकती है ताकि Staggered रूप में बच्चों का पठन–पाठन हो । इसे सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की जवाबदेही होगी ।

v. विद्यालय प्रवेश द्वार पर Thermal Scanning यंत्र की सहायता से सभी शिक्षकों, गैर–शैक्षणिक कर्मियों एवं छात्र–छात्राओं की Thermal Scanning करना अनिवार्य होगा ।

vi. प्रवेश द्वारा के निकट बच्चों के हाथों को Sanitize कराते हुए विद्यालय में प्रवेश में अनुमति प्रदान की जाएगी । इसे सुनिश्चित करने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगी ।

vii. विद्यालय प्रारंभ होने तथा विद्यालय समाप्त होने के समय को वर्गवार अलग–अलग रखा जाय।

viii. वर्ग संचालन में एक मानक दूरी रखी जायेगी, ताकि एक दूसरे को अनावश्यक स्पर्श से बचा जा सके।

ix. यथासंभव वर्ग में दो बेंच–डेस्क के बीच दूरी रखी जाय।

x. बीमार बच्चे, शिक्षक एवं कर्मचारी विद्यालय नहीं आयेंगे।

xi. Fexible Attendance एवं Sick Leave Policy को लागू किया जायेगा जिससे बिमार होने की स्थिति में बच्चे घर पर ही रह कर पढ़ाई करने को प्रोत्साहित हो।

xii. शत प्रतिशत उपस्थिति/ आदर्श उपस्थिति के कारण दिए जाने वाले पुरस्कार/अनुदान को वर्त्तमान में प्रोत्साहित नहीं किया जाय।

xiii. अनुपस्थिति/बीमारी/विद्यालय बन्द होने की स्थिति में पढाई की निरंतरता को बनाये रखने हेतु बच्चों को गृह कार्य दिया जाय ताकि घर में वे पढाई कर सकें।

xiv. सभी बुजुर्ग/गर्भवती कर्मचारी और वैसे कर्मचारी जिन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उन्हें छात्रों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी कार्य में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

### 3. विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति हेतु मानक संचालन प्रक्रियायें

i. विद्यालय प्रबंधन एवं विकास/विद्यालय प्रबंधन समिति का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में बच्चों के अतिक्ति पठन–पाठन से जुड़े शिक्षकों एवं कर्मियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं किया गया हो।

ii. यदि बच्चों में कोरोना वायरस बीमारी के कोई लक्षण (यथा बुखार, गले में खराश, खांसी और सांस की तकलीफ) नहीं हो, तो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजें जबतक सरकार द्वारा स्वास्थ्य कारणों से कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किया गया हो।

iii. यदि बच्चो को किसी कारण से घर पर रहना हो, तो उन्हे हैण्डवाशिंग एवं अच्छे श्वसन अनुशासन की शिक्षा एवं अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया जाए ।

iv. कोरोना वायरस के संबंध में सरकारी श्रोतों से प्रसारित नवीनतम जानकारी को प्राप्त करते रहें।

v. कोरोना बीमारी से भयभीत ना हो, संयमित रहे एवं सुरक्षित रहें।

vi. विद्यालय संचालन में शिक्षकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए ।

vii. यथासंभव फेस कवर/मास्क, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि जैसी व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं का उचित बैक–अप स्टॉक शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

viii. यथासंभव थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल, साबुन, इत्यादि सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

ix. यथासंभव किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जा सकती है।

x. पूर्णतः ढ़के हुए डस्टबिन और कूड़े के डिब्बे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

xi. सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. **छात्र–छात्राओं हेतु निदेश :–**

i. छात्र कोरोना वायरस से बिल्कुल भयभीत ना हो, किसी भी समस्या के बारे में अपने सहपाठियों से बात करें।

ii. अपने शिक्षकों से बात करें एवं कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

iii. अपने हाथ को समय–समय पर कम से कम 40 से 60 सेकेण्ड तक अच्छे से साफ करें।

iv. अपने आंख, नाक और मुँह को छूने से बचें।

v. खांसी और छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी/रूमाल से अपने मुंह और नाक को ढकें।

vi. वाटर फिल्टर से पानी पीने से पहले हर बार गिलास को अच्छी तरह धो ले एवं किसी भी अन्य व्यक्ति की जूठी बोतल से पानी न पिएं।

vii. यदि आपको बुखार, खांसी, और सांस लेने में कठिनाई हो, तो तुरंत अपने शिक्षक को सूचित करें।

viii. यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें।

ix. सामाजिक दूरी (Social Distancing) के नियमों का पालन करें।

x. अपने आप, अन्य सहपाठियों तथा व्यक्ति के साथ स्पर्श से बचते हुए न्यूनतम छः फीट की दूरी बनाये रखें।

xi. विद्यालय में किसी भी बीमार बच्चे के साथ बुरा बर्ताव न करें एवं उसे तुरंत जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं।

5. **सामान्य दिशानिर्देश :–**

सामान्य निवारक उपायों में सर्वप्रथम सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शामिल है, जिनका COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए पालन किया जाना है। इन उपायों को विद्यालय परिसर में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जो निम्नवत् है:–

i. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

ii. कोविड–19 के नवीनतम जानकारियों से अवगत होते रहें ।

iii. नजदीकी थाना, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय बनाकर रखे ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके ।

iv. उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति से संपर्क कर विद्यालयों के लिए दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं Thremal Gun की उपलब्धता हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहयोग से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है । साथ ही (Sodium Hypochlorite at 01% Disinfected Solution तथा 70% ethyl alcohol based Hand Sanitizers की व्यवस्था भी जिला आपदा प्रबंधन समिति से की जा सकती है ।

v. Disinfected के छिड़काव हेतु स्प्रे मशिन की व्यवस्था हेतु नगर निगम/नगरपालिक/पंचायत/पंचायत समिति अथवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/मुखिया से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है ।

vi. यथासंभव किसी भी ऐसी सतह जिसका प्रयोग सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, को छूने के पश्चात् साबुन से हाथ धोना (कम से कम 40–60 सेकंड के लिए) अनिवार्य होगा।

vii. अल्कोहल–आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिए), जहां भी संभव हो, किया जा सकता है।

viii. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसी या छींकते समय मुंह को एक रूमाल/टीशू/मुड़ी हुई कोहनी से ढ़कने का अभ्यास शामिल है, जिसमें खाँसी/छींकते समय नाक और मुंह को बंद करने का अभ्यास प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ix. सभी के द्वारा स्वास्थ्य की स्व–निगरानी करना और किसी भी बीमारी (लक्षण) की जल्द से जल्द रिपोर्ट करना।

x. यत्र–तत्र थूकना सख्त प्रतिबंधित होगा।

xi. जहां भी संभव हो, आरोग्य सेतु ऐप की उपयोग की सलाह दी जा सकती है।

xii. यदि किसी विद्यालय में वर्गकक्ष कम होंगे/विद्यार्थी अधिक होंगे तो वैसी स्थिति में परामर्श की व्यवस्था दो पाली में की जायेगी ।

xiii. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी मानक प्रक्रिया को अनुपालित किया जायेगा ।

xiv. जो विद्यालय पूर्व में Quarentine Centre के रूप में कार्यरत थे उसकी अच्छी तरह से सैनिटाईज किया जाय तथा पूर्ण सफाई–सफाई के उपरांत ही संचालन किया जाय।

**6. सभी विद्यालय (कक्षा–06 से 12 ) विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:–**

i. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. कक्षा 06 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने हेतु स्वैच्छिक आधार पर अपने विद्यालय जाने की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस तरह की कक्षा संचालन और शिक्षक–छात्र के बीच के बातचीत को चरणबद्ध तरीके से सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करते हुए आयोजित किया जायेगा।

**7. सरकारी/निजी विद्यालय एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची से सम्बद्धता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कक्षाओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।**

**8. कक्षाओं/ परामर्श हेतु निम्नवत व्यवस्था की जायेगी –**

i. विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों यथा– Whatsapp/दूरदर्शन/रेडियो तथा शिक्षकों के द्वारा इस आशय की सूचना प्रदान की जाय।

ii. झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा कक्षा 08 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में Model Set of Question Paper विकसित की गयी है, जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाय, ताकि वे निर्धारित प्रश्न पत्र के आधार पर अपनी तैयारी कर सके।

iii. प्रत्येक विद्यालयों में दो बॉक्स रखे जाय। प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों द्वारा Model Set of Question Paper के आधार पर उत्तर तैयार की जाय तथा उसे विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों के बॉक्स में रख दिया जाय।

iv. शिक्षक द्वारा बॉक्स से उत्तर पुस्तिका को निकालते हुये उसकी जाँच की जाय था जाँचोंपरांत उसे दूसरे बॉक्स में रख दिया जाय जिसे छात्र अगले सप्ताह या सप्ताह के बीच में भी विद्यालय आकर प्राप्त कर सकेंगे।

v. उक्त के दौरान जिन विद्यार्थियों को जिन विषयों में विशेष परामर्श की भी आवश्यकता महसूस होती है, उन विषयों के शिक्षक विद्यालयों में विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक परामर्श प्रदान करेंगे।

vi. इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाईजर/हैण्डवाश की पूरी व्यवस्था के साथ–साथ थर्मल स्कैनिंग का उपयोग किया जाय।

vii. छात्रों द्वारा विद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु NCERT वेबसाईट पर मुफ्त ऑनलाईन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। यथा– वर्ग–06 से वर्ग–08 हेतु ई–पाठशाला डिजिटल पाठ्य–पुस्तकें, ई–पाठशाला मोबाईल ऐप, ऑडियों बुक्स इत्यादि।

20/3/21

**(राजेश कुमार शर्मा)**
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड